

पत्र सं०-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-10/01/2024.

**अनीपचारिक
रूप से
परामर्शित।द्वारा :-
विषय :-

**आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के तहत कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन हेतु रुपये 2471.10 लाख (चौबीस करोड़ एकहत्तर लाख दस हजार) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रुपये 552.88 लाख (पाँच करोड़ बावन लाख अठासी हजार) व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के तहत कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन हेतु रुपये 2471.10 लाख (चौबीस करोड़ एकहत्तर लाख दस हजार) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रुपये 552.88 लाख (पाँच करोड़ बावन लाख अठासी हजार) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी-1 एवं अनुलग्नक-क, 'ख' एवं 'ग' के रूप में संलग्न।

2. पॉल्ट्री पशुपालन सेक्टर का एक तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। लेयर उत्पादन प्रति वर्ष 6-7% की दर से बढ़ रहा है जबकि ब्रायलर उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 10-12% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, पॉल्ट्री क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 8-10% की वृद्धि हुई है जबकि कृषि फसलों में प्रति वर्ष लगभग 2% की वृद्धि हुई है। बिहार में 1.65 करोड़ पॉल्ट्री है जो राष्ट्रीय पॉल्ट्री आबादी का 1.94% (85.18 करोड़) है। बिहार में अंडा उत्पादन 306.66 करोड़ (राष्ट्रीय अंडा उत्पादन का 2.4%) है, बिहार में 25 अंडे की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता है, जबकि राष्ट्रीय उपलब्धता 95 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है।

बिहार में मांस उत्पादन 0.39 मिलियन टन, प्रति व्यक्ति उपलब्धता 3.2 किलोग्राम प्रति वर्ष है जो देश का आधा है। इसलिए वर्तमान स्थिति में पोल्ट्री क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर का कम करने के लिए बिहार में लेयर, ब्रायलर और बैकयार्ड चिकन के माध्यम से पोल्ट्री उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके।

3. कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन की योजना का कार्यान्वयन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा किया जायेगा।

4. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को हस्तान्तरित केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना में पूर्व से स्वीकृत निम्नांकित पदों के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति/ आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानवबल की सेवाएं प्राप्त की जायेगी –

क्र०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	वेतन स्तर
1	प्रधान / हेड (महाप्रबंधक के स्वीकृत पद के स्थान पर)	1	0	14
2	प्रबंधक	1	0	9
3	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	0	9
4	सहायक कुक्कुट अधिकारी (प्रशिक्षण)	1	0	9
5	टंकक सह लिपिक	1	0	6
6	लेखापाल	1	0	6
7	भंडार लिपिक	1	0	5
8	चिक सेक्सर	1	0	5
9	विद्युत यांत्रिकी	1	0	4
10	इन्क्यूबेशन सहायक	1	0	4
11	गाली	1	0	1
12	कुक्कुट सेवक	11	0	1
13	चपरासी	2	0	1
	कुल	24	0	—

5. बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास, लेयर और ब्रॉयलर की वंशावलियों और शुद्ध देशी नस्लों का प्रजनन और उन्नतिकरण एवं उन्नत किस्म के लेयर, ब्रायलर तथा बैकयार्ड नस्लों का विकास एवं राज्य में आपूर्ति तथा कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण।
6. कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति कृषि विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक पी०पी०एम० 26/2023-12 दिनांक 13.05.2023 द्वारा दी गयी है।
7. कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन की योजना के तहत निम्नांकित कार्य प्रस्तावित है –
- (i) कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास एवं आवश्यक सामग्रियों/उपकरणों का क्रय।
- (ii) लेयर और ब्रॉयलर की पैतृक वंशावलियों और शुद्ध देशी नस्ल के जर्मप्लाज्म का क्रय।
- (iii) पैतृक वंशावलियों/शुद्ध देशी नस्लों का प्रजनन, आनुवांशिक उन्नयन एवं व्यावसायिक नस्लों और बैकयार्ड पोल्ट्री प्रजातियों का उत्पादन और प्रसार।
- (iv) पशुपालकों एवं उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा सहायक प्रोफेसर/वैज्ञानिक/एस.एम. एस./पशु चिकित्सा अधिकारियों हेतु रिक्रेशर कोर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
8. योजना के अन्तर्गत सभी अवयवों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि में कुल रुपये 2471.10 लाख (दोहरीस करोड़ एकहत्तर लाख

दस हजार) मात्र का व्यय प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रुपये 552.88 लाख (पाँच करोड़ बावन लाख अठासी हजार) मात्र का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें रुपये 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र की राशि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। समेकित व्यय विवरणी-1 एवं विस्तृत व्यय विवरणी-"क", "ख" एवं "ग" संलग्न है।

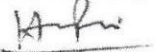
9. योजना के विभिन्न अवयवों हेतु आवश्यकतानुसार एजेंसियों का चयन निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
10. प्रस्तावित योजनान्तर्गत विभिन्न अवयवों में से किसी भी अवयव के लिये कर्णांकित राशि को दूसरे अवयव में आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा कर्णांकित किया जायेगा।
11. योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जायेगा।
12. योजना पर होने वाले व्यय का वहन राज्य स्कीम से किया जायेगा।
13. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी-निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार होंगे।
14. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पी0एल0खाता संख्या-PBBPLA032 में अंतरित किया जायेगा तथा योजना कार्यान्वयन पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
15. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम0-04-15/2009-9736 वि0-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
16. बजट शीर्ष - प्रस्तावित योजना के तहत निम्नांकित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत व्यय का विकलन किया जायेगा :-
 1. मुख्य शीर्ष-2415 -कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-03 पशुपालन, लघुशीर्ष-277 -शिक्षा, मांग संख्या-02, उपशीर्ष-0101 -बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415032770101.
 2. मुख्य शीर्ष-2415 -कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-03 -पशुपालन, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-02, उपशीर्ष-0101 -बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037890101.

3. मुख्य शीर्ष-2415 -कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-03 -पशुपालन, लघु शीर्ष-796 -जन जातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-02, उपशीर्ष-0101 -बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037960101.

प्रस्तावित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवश्यक राशि की व्यवस्था राज्य स्कीम-सात निश्चय-2 के तहत उपलब्ध बजट उपबंध से आंतरिक सामंजन करते हुए द्वितीय अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग के माध्यम से की जायेगी।

17. इस योजना का लागत मूल्य 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ के अन्तर्गत है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-3758, दिनांक-31.05.2017 की कंडिका-4(क) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)11/2023 के पृष्ठ-23/टि०, दिनांक-14.12.2023.
18. इस योजना का लागत मूल्य 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ के अन्तर्गत है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-3758, दिनांक-31.05.2017 की कंडिका-4(क) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन इस शर्त के अधीन प्राप्त है कि, 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समायोजन महालेखाकार से करा लिया गया हो। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6) 11/2023 के पृष्ठ-29/टि०, दिनांक-26.12.2023.
19. दिनांक-06.11.2023 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है (पृष्ठ-11/प०)।
20. निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्णरूपेण जबाबदेह होंगे।
21. राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।
22. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०-6 एस०एस०(6)11/2023 के पृष्ठ-31/टि० तथा डायरी सं०-01, दिनांक-03.01.2024.
23. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

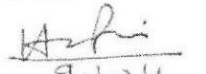


(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15, दिनांक-10/01/2024.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



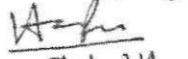
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15,दिनांक-10/01/2024.
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


7.1.24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15,दिनांक-10/01/2024.
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/कुलसचिव, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


9.1.24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15,दिनांक-10/01/2024.
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/ लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


9.1.24

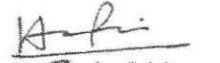
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15,दिनांक-10/01/2024.
प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


9.1.24

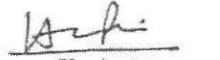
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15,दिनांक-10/01/2024.
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


9.1.24

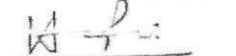
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15,दिनांक-10/01/2024.
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रधान सचिव के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, वित्त के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


9.1.24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)11/2023- 140 /पटना-15,दिनांक-10/01/2024.
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


9.1.24

सरकार के विशेष सचिव

4

व्यय विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में 'कुककुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre)' की स्थापना एवं संचालन' की स्थापना की योजना हेतु प्रस्तावित व्यय की संकेतित विवरणी।

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित कार्य	वित्तीय वर्षवार प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)					
			2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3104 - सहायक अनुदान-वैतन	स्वीकृत पदों के विरुद्ध वेतनादि भुगतान।	138.20	145.60	152.30	159.90	167.90	763.90
2	3105-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण	कुककुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कार्य।	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	226.00
3	3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन	विभिन्न सामग्रियों/उपकरणों, कुककुट आहार इत्यादि का क्रय, आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय, प्रशिक्षण संबंधी कार्य इत्यादि।	301.68	337.65	258.43	291.92	291.52	1481.20
कुल -			552.88	596.25	410.73	451.82	459.42	2471.10

(रुपये चौबीस करोड़ एकहतर लाख दस हजार मात्र)

Arshi
9.1.24
सरकार के विशेष सचिव

140
20/01/2024

व्यय विवरणी-क

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रॉड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में 'कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन' की स्थापना की योजना हेतु प्रस्तावित व्यय की विवरणी।

विपत्र कोड 02-2415032770101

क्र.सं.	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्षवार प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)						निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3104 - सहायक अनुदान-वैतन	103.65	109.20	114.23	119.92	125.92	572.92	सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
2	3105 -सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों का निर्माण	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	169.50		
3	3106 -सहायक अनुदान-गैर वैतन	226.26	253.24	193.82	218.94	218.64	1110.90		
	कुल -	414.66	447.19	308.05	338.86	344.56	1853.32		

(रुपये अठारह करोड़ तीसपन लाख बत्तीस हजार मात्र)

140
10/01/2024

A.P.
01.1.24
सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी-ख

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में "कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन" की स्थापना की योजना है। प्रस्तावित व्यय की विवरणी।

विपत्र कोड 02-2415037890101

क्रम	विषय सीप	वित्तीय वर्षवार प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)						निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3104 -सहायक अनुदान-वेतन	27.64	29.12	30.46	31.98	33.58	152.78	सचिव / प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी-	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
2	3105 -सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों का निर्माण	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	45.20	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	
3	3106 -सहायक अनुदान-गैर वेतन	60.34	67.53	51.69	58.38	58.30	296.24		
	कुल -	110.58	119.25	82.15	90.36	91.88	494.22		

(रुपये चार करोड़ चौरानवे लाख बाईस हजार मात्र)

140
30/01/2024

Arif
9.1.24
सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में "कृकट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन" की स्थापना की योजना हेतु प्रस्तावित व्यय की विवरणी।

व्यय विवरणी-ग

विपत्र कोड 02-2415037960101

क्र.सं.	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्षवार प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)						निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पटनाम	कोषागार का नाम
		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3104 - सहायक अनुदान-वैतन	6.91	7.28	7.61	8.00	8.40	38.20	सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी-	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
2	3105-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	11.30	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	
3	3106-सहायक अनुदान-गैर वैतन	15.08	16.88	12.92	14.60	14.58	74.06		
	कुल -	27.64	29.81	20.53	22.60	22.98	123.56		

(रुपये एक करोड़ तेईस लाख छप्पन हजार मात्र)

140
10/01/2024


9.1.24
सरकार के विशेष सचिव



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय-
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक-09 लेखा (योजना विपत्र) (48) 41/2023-8.24.24

दिनांक- 01/03/24

प्रेषक,

डॉ० आनन्द कुमार
अवकाश रक्षित पदाधिकारी
-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

सेवा में,

कुलपति,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना।

विषय:- पूर्व प्राप्ति रसीद (Pre-Receipt Bill) उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या 140 दिनांक 10.01.2024 के आलोक में निर्गत आवंटनादेश संख्या 125 (नि०) आ०, दिनांक 29.02.2024 के द्वारा प्राप्त आवंटन के कंडिका- 3 के आलोक में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पटना के तहत कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के केन्द्र (Poultry research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन की योजना हेतु निम्नांकित कूट संख्या के अन्तर्गत राशि PL खाता संख्या PBBPLA032 में अंतरित करने हेतु, वित्त विभाग के पत्रांक 870 दिनांक/वि० दिनांक 25.01.2024 का अनुपालन करते हुए पूर्व प्राप्ति रसीद अपेक्षित है, ताकि राशि की निकासी कर आपको उपलब्ध कराया जा सके :-

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष			कुल आवंटित राशि
		0101.31.04- सहायक अनुदान-वेतन	0101.31.05- सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण	0101.31.06- सहायक अनुदान- गैर वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	02-2415032770101 (सागान्य घटक)	37,50,000	37,50,000	1,50,00,000	2,25,00,000
2	02-2415037890101 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	10,00,000	10,00,000	40,00,000	60,00,000
3	02-2415037960101 (जनजातीय क्षेत्र उप योजना)	2,50,000	2,50,000	10,00,000	15,00,000
कुल योग :-					3,00,00,000
(रुपये तीन करोड़) मात्र।					

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अंकित राशि के विरुद्ध कूट संख्या के अनुसार अधियाचना एवं 09 (नौ) पूर्व प्राप्ति रसीद (Pre-Receipt Bill) को PL खाता संख्या एवं लेजर नाम, लेजर आई० डी० तथा वित्त विभाग के पत्रांक 870 दिनांक/वि० दिनांक 25.01.2024 का अनुपालन अंकित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय ताकि राशि को PL खाता में अंतरित किया जा सके।

विश्वासभाजन

01/03/24
अवकाश रक्षित पदाधिकारी

-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।